

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 210  
No. 25] DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936 [N.C.T.D. No. 210

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2015

सं.फा. डी.ई.02 (8)/144/ई.-II/2009/746.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को स्नातकोत्तर अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली 2014 कहा जाएगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान :- उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन समूह तथा ग्रेड वेतन उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव**:- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "स्नातकोत्तर अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान)" के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	: स्नातकोत्तर अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान)
2.	पदों की संख्या	: 788* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन समूह एवं ग्रेड पे/वेतनमान	: पे बैंड-2,9300-34800/- रुपये+ग्रेड पे-4800/-रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	: चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: 30 वर्ष से अधिक नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	: अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं:- (i) इंजीनियरिंग स्नातक अथवा बी. टैक (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) जमा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। अथवा डीओईएसीसी, सूचना एवं संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से बी या सी स्तर का डिप्लोमा जमा एक वर्षीय अध्यापन अनुभव अथवा (ii) एमएससी (कम्प्यूटर विज्ञान)/एम.सी.ए. जमा एक वर्षीय अध्यापन अनुभव अथवा इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर अथवा एम. टैक (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी) टीप :-स्नातकोत्तर (कम्प्यूटर विज्ञान) के पद पर पदोन्नति के लिये, यदि योग्यताएं पहले धारण नहीं की हैं तो विभाग कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिये यथानिर्धारित शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त करने के लिये टी.जी.टी. (कम्प्यूटर विज्ञान) को सुविधा प्रदान करेगा।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: आयु : नहीं शैक्षणिक योग्यता : हाँ
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: सीधी भर्ती वालों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से मरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	: पदोन्नति : शिक्षा निदेशालय में वेतन समूह-2 में 9300-34800/-रुपये के वेतनमान में 4600/-रुपये के ग्रेड वेतन सहित नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित टी.जी.टी. (कम्प्यूटर विज्ञान) में से।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: 'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थाईकरण पर विचार करने हेतु) 1) प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -अध्यक्ष

		2) निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य
		3) अपर सचिव (योजना)	—सदस्य
		4) अपर निदेशक शिक्षा (प्रशासन)	—सदस्य
	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
विनय भूषण, अपर निदेशक शिक्षा (प्रशा.)

## DIRECTORATE OF EDUCATION

### NOTIFICATION

Delhi, the 3rd March, 2015

No. F. DE 2(8)/144/E-II/2009/746.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Post Graduate Teacher (Computer Science) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

- Short title and commencement.**—(i) These rules may be called Post Graduate Teachers (Computer Science) Recruitment Rules, 2014.  
(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**— The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications - No person —**
  - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,
shall be eligible for appointment to the said posts:  
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.**— Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or Non- Selection Post
1	2	3	4	5
Post Graduate Teacher (Computer Science)	788* (2014) *Subject To Variation Dependent On Work Load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300- 34800 Plus Grade Pay Rs. 4800/-	Selection.

Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualification Required for Direct Recruits	Whether Age and Educational Qualification Prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any
6	7	8	9
Not Exceeding 30 Years	<p><b>Essential Educational Qualifications</b></p> <p>(i) B.E or B.Tech (Computer Science/IT) plus Post Graduate Diploma in Computer Applications or B or C Level Diploma from Doecac, Ministry of Communications and IT plus One Year Teaching Experience.</p> <p>or</p> <p>(ii) M. Sc. (Computer Science)/ MCA plus One Year Teaching Experience.</p> <p>or</p> <p>(iii) Master of Engineering or M.Tech. (Computer Science/IT).</p> <p>Note: For Promotion to the PGT (Computer Science) the Department shall facilitate the TGT (Computer Science) to acquire the Educational Qualifications as prescribed for Direct Recruits under Column 7, if not already possessed.</p>	Age: No. Educational Qualification: Yes.	Two Years for Direct Recruits.

Method of Recruitment: Whether by Direct Recruitment or by Promotion or By Deputation/Absorption And Percentage of the Vacancies to be Filled by various methods	In Case of Recruitment By Promotion/ Deputation/Absorption, Grades from which Promotion/Deputation/ Absorption to be Made	If A Departmental Promotion Committee Exists, What is its Composition	Circumstances in Which UPSC to be Consulted in making Recruitment
10	11	12	13
25 % by Direct Recruitment and 75% by Promotion.	<p><b>Promotion:</b> T.G.T. (Computer Science) with two years Service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band -2, in scale of pay of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- in Directorate of Education.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Considering Promotion/ Confirmation) Consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principal Secy./Secy. (Edn.), GNCT of Delhi -<b>Chairman</b></li> <li>2. Director of Education -<b>Member</b></li> <li>3. Additional Secretary (Planning) -<b>Member</b></li> <li>4. Addl. Director of Education (Admn.) - <b>Member</b></li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of  
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,  
BINAY BHUSHAN, Addl. Director of Education (Admn.)